कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

ई-मेल-eepdpwdntl@gmail.com

पत्रांक :- 2020/29My दिनॉक :- 16 / 05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।

विषय :- **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 देवलमल्ला से किमी0 0.200 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 है0 पूर्व मं 1.53 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण का प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :- **आपका पत्रांक 2688/12-1 दिनांक 13.05.2024 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा सैन्द्वातिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रश्नोत्तरी एवं उसका प्रतिउत्तर कॉलम के रूप में निम्नवत् प्रेषित है।

क0सं0	भारत सरकार की शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	सी0ए0 रू0 8,16,800.00 मात्र यू.टी.आर. न0 SBIN 2241013431540 द्वारा कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया हैं। प्रतिपूरक वृक्षारोपण संबंधी अनुपालन वन विभाग स्तर से की जानी है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण : क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1820 पौंधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.82 ha area (वतर्मान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। ख) राज्य सरकार पौधारोपण क्षेत्र के co-ordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल, सी0ए0 क्षेत्र, प्रस्तावित एम0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	(क) प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग से अनुपालन किया जाना हैं। (ख) प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग से अनुपालन किया जाना हैं। (ग) प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग से अनुपालन किया जाना हैं।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वोक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रमाण पत्र संलग्न है।

5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या : 202/ 1995 में 1A नम्बर 556 दिं0 30.10.2002, 10.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एंव 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/ 1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिं0 18.09.2003, 5–2/ 2006–एफ0सी0 दिं0 03.10.2006 एं0 5–3/2007'एफ0सी0 दिं0 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.91 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वज्ञरा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो , जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से बसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शुद्ध वर्तमान मूल्य– (क) इस प्रस्ताव के तहत एन. पी.वी. रू0 8,71,580.00 मात्र यू.टी.आर. न0 SBIN 2241013431540 द्वारा कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया हैं। चालान की प्रति संलग्न हैं।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 18 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत ज़मा की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभियकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षेतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धत और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित / जमा किए जाएंगे।	वांछित धनराशि रू0 16,88,380.00 मात्र यू.टी.आर. न0 SBIN 2241013431540 के द्वारा कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है।
8	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपाल सम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986` प्राविधानो के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि पर श्रमिक शिविर नही लगाया जायेगा।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लगड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंन दिया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसर , प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वज्ञरा समीमांकनकिया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों` अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एंजेसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/ 2017– FC दिं0 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन विभाग स्तर से प्राप्त निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।
18	पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	वन विभाग स्तर से प्राप्त निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।

19	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थालों पर इस प्रकार का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाततियों के पौधे लगाकर यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थालों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन विभाग स्तर से प्राप्त निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।
20	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य समरकार / प्रायेक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	वन विभाग स्तर से प्राप्त निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।
21	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	वन विभाग स्तर से प्राप्त निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्न – प्रमाण पत्र 21 नग 4–4 प्रतियों मं
ट्रेजरी चालान 4 प्रतियों में।

भवदीय

(इं0 रत्नेश कुमार सक्सेना)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
नैनीताल

15/5/24

11:34 AM

AGENCY COPY

यूनियन बैंक आॅफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 03-04-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6120099158
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/215/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Office of the Executive Engineer, Provincial Division , Public Works Division, NainitalNainital
Amount(in Rs)	1688380/-

Amount in Words :Sixteen Lakh Eighty-Eight Thousand Three Hundred and Eighty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896120099158 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through cha even after 7 working days, then kindly mail a copy o id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse(ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR SBIN 224103431540

Executive Engineer
Provincial Division, P.W.D.
NAINITAL.

8/688380

12 APR 2024

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA Talital Nainital

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल
ई–मेल–eepdpwdntl@gmail.c

पत्रांक :– 8519 /29 एम0जी0 दिनॉक :– 03/04/24

सेवा में ,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैक,
नैनीताल।

विषय :– मांग ड्राफ्ट सं0 185679 दिनाक 02.04.2024 रू0 16,88,380.00 मात्र का भुगतान संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत करना है कि मांग ड्राफ्ट सं0 185679 दिनाक 02.04 रू0 16,88,380.00 मात्र का भुगतान विजयपुर–पहाड़पानी मोटर मार्ग के एन0पी0वी0 एवं अन्य भुगतान हेतु किया गया हैं। जिसका भुगतान NEFT/RTGS चालान के माध्यम से जमा किया जाना हैं।

अतः उक्त भुगतान NEFT/RTGS चालान से जमा करने का कष्ट करें। NEFT/RTGS च प्रेषित किया जा रहा हैं।

संलग्नः– मांग ड्राफ्ट सं0 185679 दिनांक 02.04.2024

1. रू0 16,88,380.00 मात्र मूल में।
2. NEFT/RTGS चालान तीन प्रतियों।

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India Nainital

04/04/24

भवदीय

अधिशासी अभियन्त
प्रा0ख0 ,लो0नि0वि
नैनीताल।

2/4/2024

बिन्दु सं0 – 04

परियोजना का नाम– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00(देवलमल्ला) से किमी0 2.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0(पूर्व में 1.53 हे0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत वन विभाग की योग के अनुसार प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

बिन्दु सं0 – 05(क) शपथ पत्र

परियोजना का नाम– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00(देवलमल्ला) से किमी0 2.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0(पूर्व में 1.53 हे0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शूद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो लो0नि0वि0 वहन करने को सहमत है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

बिन्दु सं0 – 06 प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00(देवलमल्ला) से किमी0 2.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0(पूर्व में 1.53 हे0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

प्रमाणित किया जाता है कि विषयांकित मार्ग के निर्माण के समय प्रत्यावर्तित वनभूमि में वृक्षो की कटाई न्यूनतम की जायेगी तथा विभाग द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

बिन्दु सं0 – 08 प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00(देवलमल्ला) से किमी0 2.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0(पूर्व में 1.53 हे0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

बिन्दु सं0 – 09 प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00(देवलमल्ला) से किमी0 2.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0(पूर्व में 1.53 हे0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यायवरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

बिन्दु सं0 – 10 प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00(देवलमल्ला) से किमी0 2.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0(पूर्व में 1.53 हे0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

बिन्दु सं0 – 16 प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00(देवलमल्ला) से किमी0 2.00 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0(पूर्व में 1.53 हे0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

ई–मेल–eepdpwdntl@gmail.com

पत्रांक :– / दिनॉक :– / /2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी
नैनीताल।

विषय :– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी0 0.000 (देवल मल्ला) से किमी0 0.200 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 हे0 (पूर्व में 1.53 हे0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 का प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। **(Online Proposal No FP/UK/ROAD/20099/2016)**

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक 8वी0/यू0जी0पी0/06/215/2016/एफ0सी0 शून्य दिनांक 22.10.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण पुनः प्रेषित है।

क0सं0	आपत्ति	आपत्तियों का निराकरण
1	In the original proposal CA scheme uploaded for Rs 1489400.00 and the UA has deposited Rs. 816800.00 only against CA Clarification in this regard is required to be submitted	विषयांकित मार्ग का पूर्व में प्रस्ताव 1.53 हे0 भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रस्ताव संसोधित कर पुनः 0.91 है0 किया गया एक हेक्टेयर से कम होने के कारण सी0ए0 की आवश्यकता नही थी जिसके परिपेक्ष्य में प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी के पत्र संख्या 1032/12–1 दिनांक 25.10.2023 के द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 1820 पौध का रोपण कार्य के अन्तर्गत 1.82 हे0 अवनत वन भूमि एवं 10 वर्षो का रख रखाव सहित 448791.00 प्रति हे0 की दर से 816800.00 की मांग के अनुसार डिमाण्ड नोट प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी से सत्यापन उपरान्त भुगतान किया गया।
2	FRA certificate is not found submitted which is required to be submitted/uploaded.	FRA certificate पूर्व में मूल में प्रेषित है पुनः छायाप्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(इं0 रत्नेश कुमार सक्सेना)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
नैनीताल

पत्रांक :– 3887/29mg दिनॉक :– 11/12/2024

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– सहायक अभियन्ता द्वितीय, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय में व्यक्तिगत सम्पर्क कर निस्तारण कराये।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
नैनीताल

EE PD PWD NTL <eepdpwdntl@gmail.co

Gmail

Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

2 messages

monitoring-fc@nic.in <monitoring-fc@nic.in>
To: eepdpwdntl@gmail.com
Cc: monitoring-fc@nic.in

Thu, Dec 14, 2023 at 6:41

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Propsal Detail

1. **Proposal No.** : FP/UK/ROAD/20099/2016
2. **Proposal Name** : Vijaypur Pahadpani MR
3. **Category of the Proposal** : Road
4. **Date of In-principle** : 20/06/2016
5. **Name of the Applicant with Contact Details**

Name	: PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Mobile No.	: 9412930018
Email ID	: eepdpwdntl@gmail.com
State	: Uttarakhand
District	: Nainital
Pincode	: 263001

Funds Demand Details

Ameen / LAC

20/12
Ex Eng.

1. Compensatory Afforestation	: Rs. 816800/-
2. Additional Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
3. Penal Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
4. Catchment Area Treatment	: Rs. 0/-
5. Safety Zone	: Rs. 0/-
6. Additional Charges for protected area	: Rs. 0/-
7. Net Present Value (NPV)	: Rs. 871580/-
8. Other Charges	: Rs.0/-
9. Other Charges1	: Rs.0/-
10. Other Charges2	: Rs.0/-
11. Other Charges3	: Rs.0/-
Total Amount	: Rs. 1688380/-

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system

(System Administrator)

पाजका संख्या 2117
दिनांक 30/10/23

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

G20

पत्रांक 1032 / 12–1 हल्द्वानी, दिनांक 25-10-2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
नैनीताल।

विषयः– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के (कि0मी0 0.00 देवलागल्ला से कि0मी0 0.200) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 है0 (पूर्व में 1.53 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (online no. FP/ UK /ROAD /20099 / 2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक– 8बी/यू0सी0पी0/06/215/2016/एफ0सी0/900 दिनांक 10.10.2023।

महोदय,

उपरोक्त भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

1. <u>सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में शर्त संख्या–3 प्रतिपूरक वनीकरणः</u>– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 1820 पौध का रोपण कार्य प्रस्ताव के अनुसार शारदा रेंज के अन्तर्गत ककराली कक्ष सं0–अ क्षे अन्तर्गत 1.82 है0 अवनत वन भूमि में किया जायेगा एवं 10 वर्षों का रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशी @ CA Rate for 1.82 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जायेगी।

उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1459/12–1 दिनांक 01.07.2021 के द्वारा वर्ष 2020–21 से वर्ष 2023–24 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक 30.11.1989 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार पुनः निर्धारण किया गया है। जिसके अनुसार उक्त परियोजना हेतु 10 वर्षो के अनुरक्षण के लिए 1.82 है0 में वित्तीय वर्ष 2023–24 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर 4,48,791.00 रू0/है0 के अनुसार रू0 8,16,799.62 या 8,16,800.00 (आठ लाख सोलह हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि का आंकलन किया गया है। जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

कसं0	वित्तीय वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर (रू0 में)	उक्त परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि (है0 मे)	आंकलित धनराशी (रू0 मे)
1	2023–24	4,48,791.00	1.82	8,16,799.62 या 8,16,800.00

2. <u>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–5 शुद्ध वर्तमान मूल्य</u>

क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) संख्याः 202 / 1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (pt. 2) दिनांक– 18.09.2003, 5–2/2006– एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ. सी. दिनांक– 05.02.2009 तथा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 5–3/2011–एफ0सी0 (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 द्वारा जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण के प्रस्ताव के तहत 0.91 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

AE II/ Cashier/ Amean

30/10

Scanned with OKEN Scanner

उक्त बिन्दु के अनुसार 0.91 है0 वन भूमि हेतु रु 9,57,780.00/– की दर से धनराशि आंकलित की गयी है। जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाना आपेक्षित है।

S.N.	Eco Class	Open Forest (In Rs.)	उक्त परियोजना हेतु वन भूमि (है0 में)	आंकलित धनराशी (रू0 में)
1	3	9,57,780.00	0.91	8,71,579.80 या 8,71,580.00

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अन्य समस्त विन्दुओं का अनुपालन कर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः आप प्रतिपूरक वनीकरण तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य कैम्पा मद में जमा कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक 1032 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

D:\AH 2021\OHOEN LETTER\OEN LETTER_2021

Scanned with OKEN Scanner

प्रारुप--30

अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector--Nainital

Dated-07/05/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act. 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.530** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **PD PWD Nainital** (name of user agency) for **C/O Vijaypur Pahadpani Motor** Road (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **Vijaypur village (s) in Haldwani tehsil.**

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.53 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to **annexure** 30.1

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it,

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 16.12.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ......[illegible]...... ([illegible])

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर	क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
	कौरव दत्त	कौरव दत्त		[illegible]	[illegible]
	उमेश चन्द्र भट्ट	उमेश		आनन्द बल्लभ	आनन्द बल्लभ
	मदनराम	मदनराम		नारायण दत्त	नारायण दत्त
	लक्ष्मण दत्त	लक्ष्मण दत्त		नारायण दत्त	नारायण
	मुकेश चन्द्र	मुकेश चन्द्र		[illegible]	[illegible]
	हरिकृष्ण म०	हरिकृष्ण		प्रकाश चन्द्र [illegible]	[illegible]
	सन्तोष सिंह	[illegible]		प्रकाश चन्द्र [illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible] राम	[illegible]
	चुन्नी राम	चुन्नी राम		पंकज	Pankaj
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		Sonu	Sonu
	मोहन चन्द्र	मोहन चन्द्र			
	ईश्वरी दत्त	ईश्वरी दत्त			
	[illegible]	[illegible]			
	हरीश चन्द्र	[illegible]			
	[illegible]	[illegible] राम			
	[illegible]	[illegible]			
	प्रेमचन्द्र	[illegible]			
	[illegible]	[illegible]			
	धर्मेन्द्र [illegible]	[illegible]			
	[illegible]	[illegible]			
	पंकज	[illegible]			
	चन्द्र [illegible]	[illegible]			
	[illegible]	[illegible]			
	[illegible]	[illegible]			
	सूरज सिंह [illegible]	सूरज सिंह			
	प्रकाश [illegible]	[illegible]			
	मदन मोहन	[illegible]			

16-12-2014

ह० ग्राम्य विकास अधिकारी

सभापति,

ग्राम पंचायत [illegible]

प्रारूप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Nainital** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **Deepak Rawat** I.A.S deputy commissioner,. **Distt. Nainital** on dated 07/05/2015 at time 3:00 P.M. at Nainital in which application claiming rights in **1.70 KM** area measuring **1.53** hect for the construction of **Vijaypur Paharpani Motor** Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Haldwani** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:..Nainital

Dated:..07/05/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

प्रपत्र–23.2

योजना का नाम :– मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण सुखी नदी पर काजवे का निर्माण।(कान्वरनिंग की0 1.70 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड, स्तरीय समिति, ...

उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सुखी नदी पर काजवे का निर्माण हेतु 1.575 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1.575 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नैनीताल) बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पंकज कुमार उपाध्याय उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्री पंकज कुमार उपाध्याय उपजिलाधिकारी.. अध्यक्ष

2. श्री प्रकाश आर्या .... उप प्रभागीय वनाधिकारी.. सदस्य

3. श्री ... राम .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी................................ सदस्य/सचिव

4. श्रीमती बबिता बिष्ट .... बी0डी0सी0 से. .... सदस्य

(58)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि :-

---

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317 / 2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पक्षाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 1.70 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण / पुनः निर्माण एवं सुखी नदी पर काजवे का निर्माण हेतु 1.530 है0 वन-भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317 / 2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पक्षाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 1.70 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण / पुनः निर्माण एवं सुखी नदी पर काजवे का निर्माण हेतु 1.530 है0 वन भूमि में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील Sub Divisional Magistrate
जनपद HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand

सहायक उप निरीक्षक (हल्द्वानी)
तहसील HLD.

प्र0 अधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी (प्र0)
हल्द्वानी वन प्र0

सुयश्म ग्राम पंचायत
विकास खण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र-23.

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के बिन्दुखत्ता [illegible] से किमी० [illegible] मार्ग का [illegible] (आगणन लम्बाई 1.70 कि०मी०)
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-
तहसील- लालकुआँ जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत [illegible] (लम्बाई 1.70 कि०मी०) [illegible] निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु(...1.530...हे0 आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि..........हे0, वन पंचायत भूमि..........हे0) अर्थात कुल...1.530.हे0 वन भूमि का [illegible] विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत [illegible] दि0 16-12-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावेधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैरआदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना कि निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....[illegible] के ग्राम वासियों को उक्त वनभूमि..1.590.हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

16.12.2014
ह0 [illegible] सचिव
ग्राम पंचायत (...[illegible])

प्रधान,
ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible]
ह0 ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।